(नियम–26)

अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रेवताराम पुत्र केसरा जाति कुम्हार, निवासी कोलू तहसील बायतु, जिला बालोतरा		सवाईराम पुत्र केसरा जाति कुम्हार, निवासी कोलू तहसील बायतु, जिला बालोतरा वगैरा (15)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 576/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा नया नागडदा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 06 रकबा 39.5215 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/20 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा मौके पर अपने हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से बहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने से विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा मौका स्थिति में परिवर्तन कर भूमि को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हें बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का विभाजन पूर्व बैचान किया जाता है या मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा नया नागडदा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 06 रकबा 39.5215	

सहायक कलक्टर (बाड़मेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

21.05.26 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
चूंकि उक्त आवेदन के मूल वाद में प्रार्थी वकील द्वारा No Instruction plead करने पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने तथा सारहीन होने आवेदन इसी स्तेज पर खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को भी समाप्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)